न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या– 54, 55 एवं 56 वर्ष 2014–15 अन्तर्गत धारा–219 भू–राजस्व अधिनियम

मैसर्स हिमशिखा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0

बनाम

श्री पयाम आदि

उपस्थितिः श्री राकेश शर्मा, आई0ए0एस0, अध्यक्ष।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री अरूण सक्सेना।

अधिवक्ता प्रतिउत्तरदातागण : श्री प्रेमचन्द शर्मा।

बावत

मौजा भारूवाला ग्रान्ट, परगना केन्द्रीय दून,
तहसील व जिला देहरादून।

निर्णय

उपरोक्त तीनों निगरानियाँ कलेक्टर, देहरादून द्वारा वाद संख्या–26, 27 एवं 28 वर्ष 2012–13 मैसर्स हिमशिखा इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाम जिशान उल्लाह आदि अन्तर्गत धारा–34 भू–राजस्व अधिनियम नॉन जेड0ए0 मौजा भारूवाला ग्रान्ट में पारित आदेश दिनांक 26–02–2014 के विरूद्व प्रस्तुत की गई हैं। तीनों निगरानियों की विषयवस्तु, खाता खेवट व पक्षकार समान होने के फलस्वरूप तीनों निगरानियों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है।

मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस विस्तार से सुनी।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता का कथन है कि कलेक्टर, देहरादून ने अपने आदेश दिनांक 26–02–2014 में जिस नामान्तरण आदेश दिनांक 31–10–2013 का उल्लेख किया गया है वह मृतक रोशन आर बेगम पत्नी पैगाम रसूल के वारिसों को बतौर विरासतन सहखातेदार दर्ज किए जाने का आदेश है, जबकि उनके द्वारा प्रस्तुत बैनामों के सम्बन्ध में आदेश पारित नहीं किया गया है।

अधिवक्ता प्रतिपक्षी का कथन था कि प्रश्नगत विक्रय पत्र में जिन भी व्यक्तियों द्वारा प्रश्नगत भूमि विक्रय की गई है उन्हें बिना खेवट का बँटवारा करवाये खसरा विशेष विक्रय करने का वैधानिक अधिकार नहीं है। विक्रेतागण द्वारा प्रश्नगत विक्रय पत्र से बिन्दाल नदी की जलमग्न भूमि खसरा नम्बर–53 एवं 54 तथा सार्वजनिक रास्ते का खसरा नम्बर–73 को विक्रय पत्र दिनांक 11–05–2012 में विक्रय करना दर्शाया गया है। खेवटदारों के मध्य पहले ही बँटवारे में निषेधाज्ञा वाद सिविल न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें निषेधाज्ञा भी जारी है।

अवर न्यायालय की पत्रावलियों का सम्यक अवलोकन किया गया । कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 26–02–2014 में स्पष्ट किया गया है कि प्रश्नगत भूमि का नामान्तरण पूर्व ही हो चुका है तथा जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा भी नामान्तरण स्वीकार करने में विधिक अवरोध होने का उल्लेख किया है।

उपरोक्त विवेचना के आलोक में निगरानी स्वीकार योग्य नहीं है तथा निरस्त होने योग्य है। निगरानीकर्ता सक्षम न्यायालय में चाराजोही हेतु स्वतत्र है।

आदेश

प्रस्तुत तीनों निगरानियाँ निरस्त की जाती हैं। आदेश की प्रति निगरानी संख्या–55 एवं 56 वर्ष 2014–15 मै0 हिमशिखा इन्फ्रा0 प्रा0लि0 बनाम पयाम आदि पर भी रखी जाय। अवर न्यायालय की वाद पत्रावलियाँ वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावलियाँ सँचित हों।

(राकेश शर्मा)
अध्यक्ष।

आज दिनांक 13.02.15 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(राकेश शर्मा)
अध्यक्ष।